

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 657]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2022—पौष 9, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्र. 19874-328-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २८ सन् २०२२

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-४ ) अधिनियम, २०२२

[ दिनांक ३० दिसम्बर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३० दिसम्बर, 2022 को प्रथम बार प्रकाशित की गई ]

वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०२२ है.

वित्तीयवर्ष २०२२-२०२३ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,६३,०६,९६,९५,४०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये सोलह हजार तीन सौ छह करोड़ छियानवे लाख पचानवे हजार चार सौ होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

## अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये
००१.	सामान्य प्रशासन			
	राजस्व	५०,००,००,२००	१५,२३,००,२००	६५,२३,००,४००
	पूंजी	१३,४२,०००	०	१३,४२,०००
००२.	विमानन			
	राजस्व	२६,१५,००,०००	०	२६,१५,००,०००
००३.	गृह			
	राजस्व	३००	०	३००
	पूंजी	१,००,००,००,४००	०	१,००,००,००,४००
००६.	वित्त			
	राजस्व	१९,८०,४१,५८,५००	०	१९,८०,४१,५८,५००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	५,८५,००,०००	०	५,८५,००,०००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राजस्व	१,३६,२४,००,०००	०	१,३६,२४,००,०००
०१०.	वन	राजस्व	९,२४,१९,०००	०	९,२४,१९,०००
		पूंजी	८,००,००,०००	०	८,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व	३५,००,००,००,०००	०	३५,००,००,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	२,५८,००,००,६००	०	२,५८,००,००,६००
		पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०१४.	पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व	३,००,००,०००	०	३,००,००,०००
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
०१७.	सहकारिता	राजस्व	८८,००,००,३००	०	८८,००,००,३००
०१८.	श्रम	राजस्व	८,७५,०००	०	८,७५,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	२,३९,०६,९७,०००	०	२,३९,०६,९७,०००
		पूंजी	४००	०	४००
०२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	७,९६,००,०००	०	७,९६,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	१३,५१,१८,००,०००	२,२०,२९,००,०००	१५,७१,४७,००,०००
०२३.	जल संसाधन	पूंजी	२,५०,००,००,०००	०	२,५०,००,००,०००
०२४	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	४,५१,५०,००,०००	०	४,५१,५०,००,०००
		पूंजी	१३,१०,००,००,०००	०	१३,१०,००,००,०००
०२५.	खनिज साधन	राजस्व	८०,००,००,०००	०	८०,००,००,०००
		पूंजी	१,२०,००,००,०००	०	१,२०,००,००,०००
०२६	संस्कृति	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा	राजस्व	३००	०	३००
०२९	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	७८,००,२००	०	७८,००,२००
०३०	ग्रामीण विकास	राजस्व	१०,००,००,००,२००	०	१०,००,००,००,२००
०३२	जनसंपर्क	राजस्व	६५,००,००,०००	०	६५,००,००,०००
०३३	जनजातीय कार्य	राजस्व	६,००,००,९००	०	६,००,००,९००
०३४	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राजस्व	१,०१,००,००,०००	०	१,०१,००,००,०००
०३५	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी	१,३०,५६,०००	०	१,३०,५६,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०३६	परिवहन	राजस्व	२०,५५,००,०००	०	२०,५५,००,०००
०३८	आयुष	राजस्व	३७,३१,००,०००	०	३७,३१,००,०००
०३९	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व	१००	०	१००
०४०.	पंचायत	राजस्व	१४,७२,००,००,०००	०	१४,७२,००,००,०००
०४३.	खेल और युवा कल्याण	राजस्व	७८,०१,३३,०००	०	७८,०१,३३,०००
		पूंजी	३६,००,००,०००	०	३६,००,००,०००
०४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पूंजी	१,०२,५०,००,०००	०	१,०२,५०,००,०००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	२,१०,४४,००,०००	०	२,१०,४४,००,०००
		पूंजी	४९,००,००,०००	०	४९,००,००,०००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	२६,०४,१४,००,०००	०	२६,०४,१४,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	१,३८,०२,७००	०	१,३८,०२,७००
०५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	२०,३५,८०,०००	०	२०,३५,८०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	१,६५,३९,०४,०००	०	१,६५,३९,०४,०००
०५३.	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी	७४,२४,००,०००	०	७४,२४,००,०००
०५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
		पूंजी	१,०१,२४,१००	०	१,०१,२४,१००
०५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राजस्व	२०,००,०००	०	२०,००,०००
योग :		राजस्व :	१,१४,०५,११,७२,३००	२,३५,५२,००,२००	१,१६,४०,६३,७२,५००
		पूंजी :	४६,६६,३३,२२,९००	०	४६,६६,३३,२२,९००
		वृहद-योग :	१,६०,७१,४४,९५,२००	२,३५,५२,००,२००	१,६३,०६,९६,९५,४००

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्र. 19874-328-इक्कीस-अ-(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 28 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 28 OF 2022

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 4) ACT, 2022.

[Received the assent of the Governor on the 30th December, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th December, 2022.]

**An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2022-23.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-third year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2022.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Sixteen Thousand Three Hundred Six Crore Ninety Six Lakh Ninety Five Thousand Four Hundred towards defraying the several charges which shall come in the course of payment during the Financial Year 2022-23 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs. 1,63,06,96,95,400 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2022-23.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

THE SCHEDULE  
(See Sections 2 and 3)

(1) Number of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
001. General Administration	Revenue	50,00,00,200	15,23,00,200	65,23,00,400
	Capital	13,42,000	0	13,42,000
002. Aviation	Revenue	26,15,00,000	0	26,15,00,000
003. Home	Revenue	300	0	300
	Capital	1,00,00,00,400	0	1,00,00,00,400
006. Finance	Revenue	19,80,41,58,500	0	19,80,41,58,500
007. Commercial Tax	Revenue	5,85,00,000	0	5,85,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
008.	Expenditure on Land Revenue, District Administration and Disaster Relief.	Revenue	1,36,24,00,000	0	1,36,24,00,000
010.	Forest	Revenue	9,24,19,000	0	9,24,19,000
		Capital	8,00,00,000	0	8,00,00,000
012.	Energy	Revenue	35,00,00,00,000	0	35,00,00,00,000
013.	Farmers Welfare and Agriculture Development.	Revenue	2,58,00,00,600	0	2,58,00,00,600
		Capital	10,00,00,000	0	10,00,00,000
014.	Animal Husbandry and Dairying.	Revenue	3,00,00,000	0	3,00,00,000
016.	Fisherman Welfare and Fisheries Development.	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000
017.	Co-operation	Revenue	88,00,00,300	0	88,00,00,300
018.	Labour	Revenue	8,75,000	0	8,75,000
019.	Public Health and Family Welfare.	Revenue	2,39,06,97,000	0	2,39,06,97,000
		Capital	400	0	400
021.	Public Service Management	Revenue	7,96,00,000	0	7,96,00,000
022.	Urban Development and Housing.	Revenue	13,51,18,00,000	2,20,29,00,000	15,71,47,00,000
023.	Water Resources	Capital	2,50,00,00,000	0	2,50,00,00,000
024.	Public Works	Revenue	4,51,50,00,000	0	4,51,50,00,000
		Capital	13,10,00,00,000	0	13,10,00,00,000



(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
025.	Mineral Resources			
	Revenue	80,00,00,000	0	80,00,00,000
	Capital	1,20,00,00,000	0	1,20,00,00,000
026.	Culture			
	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
027.	School Education			
	Revenue	300	0	300
029.	Law and Legislative Affairs			
	Revenue	78,00,200	0	78,00,200
030.	Rural Development			
	Revenue	10,00,00,00,200	0	10,00,00,00,200
032.	Public Relations			
	Revenue	65,00,00,000	0	65,00,00,000
033.	Tribal Affairs			
	Revenue	6,00,00,900	0	6,00,00,900
034.	Social Justice and disabled Person welfare.			
	Revenue	1,01,00,00,000	0	1,01,00,00,000
035.	Micro, Small & Medium Enterprises.			
	Capital	1,30,56,000	0	1,30,56,000
036.	Transport			
	Revenue	20,55,00,000	0	20,55,00,000
038.	Ayush			
	Revenue	37,31,00,000	0	37,31,00,000
039.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection.			
	Revenue	100	0	100
040.	Panchayat			
	Revenue	14,72,00,00,000	0	14,72,00,00,000
043.	Sports and Youth Welfare			
	Revenue	78,01,33,000	0	78,01,33,000
	Capital	36,00,00,000	0	36,00,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
044.	Higher Education	Revenue	25,00,00,000	0	25,00,00,000
046.	Science and Technology	Capital	1,02,50,00,000	0	1,02,50,00,000
047.	Technical Education, Skill Development and Employment.	Revenue	2,10,44,00,000	0	2,10,44,00,000
		Capital	49,00,00,000	0	49,00,00,000
048.	Narmada Valley Development	Capital	26,04,14,00,000	0	26,04,14,00,000
049.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	1,38,02,700	0	1,38,02,700
051.	Religious Trusts and Endowments.	Revenue	20,35,80,000	0	20,35,80,000
052.	Medical Education	Revenue	1,65,39,04,000	0	1,65,39,04,000
053.	Minority Welfare	Capital	74,24,00,000	0	74,24,00,000
055.	Women and Child Development.	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
		Capital	1,01,24,100	0	1,01,24,100
056.	Cottage and Village Industries.	Revenue	20,00,000	0	20,00,000
Total :	{ Revenue	—	1,14,05,11,72,300	2,35,52,00,200	1,16,40,63,72,500
	{ Capital	—	46,66,33,22,900	0	46,66,33,22,900
	<b>Grand Total</b>	—	1,60,71,44,95,200	2,35,52,00,200	1,63,06,96,95,400